राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION, BIHAR

पत्र संख्या–प0नि0 30–95 / 2026.....3766

प्रेषक,

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी–सह–
जिला निर्वाचन पदाधिकारी, (पंचायत)
पश्चिम चम्पारण।

पटना, दिनांक– 15.09.2026

विषयः– राजस्व ग्राम अंर्तगत EB सुधार करने के संबंध में।
प्रसंगः– जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बेतिया का पत्रांक–581 दिनांक 07.09.2026

महाशय,

उर्पयुक्त विषय प्रासंगिक पत्र के माध्यम से जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रखंड भितहाँ अंर्तगत राजस्व ग्राम डीही पकड़ी में मोबाईल एप से EB की चौहद्दी की प्रविष्टि के क्रम में प्रदर्शित कुल 15 EB में से वास्तव में 9 EB अन्य राजस्व ग्राम मच्छवाँ के भाग है। अतः अतिरिक्त EB's को मच्छवाँ राजस्व ग्राम में अंकित करने का अनुरोध किया गया है। उक्त के आलोक में निम्नांकित निदेश दिये जाते हैं :–

क. उपरोक्त वर्णित स्थिति जहाँ एक राजस्व ग्राम के कुछ EB's वास्तव में अन्य राजस्व ग्राम के भाग हैं जबकि एप पर उस राजस्व ग्राम में प्रदर्शित हो रहें हों तो प्रखंड विकास पदाधिकारी स्वयं, अंचलाधिकारी,राजस्व कर्मचारी एवं अमीन के साथ क्षेत्र सत्यापन करेंगे तथा सत्यापन प्रतिवेदन अपर समाहर्त्ता (राजस्व) के माध्यम से जिला दडांधिकारी को उपस्थापित करेंगे।

ख. यदि वास्तविक रूप में क्षेत्र सत्यापन व राजस्व रिकार्ड के अनुसार एक राजस्व ग्राम के कुछ EB अन्य राजस्व ग्राम के भाग प्रमाणित होते हैं तो प्रखंड कार्यालय में वर्ष 2011 की जनगणना से संबंधित चार्ज रजिस्टर / राजस्व ग्रामवार में EB's की टैगिंग के रिकार्ड के पुनः सत्यापन की आवश्यकता होगी।

ग. जिला दडांधिकारी जाँच प्रतिवेदन से स्वयं संतुष्ट होंगे क्योंकि मोबाईल एप पर किसी राजस्व ग्राम से संबंधित EB's वर्ष 2011 की जनगणना की EB's हैं जो आयोग को जनगणना निदेशालय से प्राप्त है। यदि कुछ EB's को अन्य राज्य ग्राम से संबद्ध किया जायेगा तो निश्चित ही एक राजस्व ग्राम की जनसंख्या कम होगी तथा जिस राजस्व ग्राम में वह EB's टैग किया जायेगा, उसकी जनसंख्या में वृद्धि होगी अर्थात दो राजस्व ग्राम की जनसंख्या के वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों में परिवर्तन की आवश्यकता होगी।

घ. परिसीमन के क्रम में छोटे–छोटे राजस्व ग्रामों को वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर संबद्ध कर अथवा बड़े राजस्व ग्रामों की जनसंख्या व भेगोलिक क्षेत्रफल की समरूपता को ध्यान में रखते हुए पंचायतों का पुर्नगठन किया जाना है। अतः वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों की शुद्धता (Accuracy) नितांत आवश्यक है।

अतः निदेशानुसार अनुरोध है कि जिला दंडाधिकारी स्वंय संतुष्ट हों राजस्व ग्राम के जनगणना के आंकड़ों में किसी प्रकार की परिवर्तन की आवश्यकता होने पर प्रतिवेदित करेंगे ताकि उक्त के संबंध में यथोचित निर्णय लिया जा सके। ऐसा देखा जा रहा हैं कि जिला पदाधिकारी–सह–जिला निर्वाचन पदाधिकारी के अनुमोदन के बगैर ही DPRO द्वारा सीधे आयोग से पत्राचार किया जा रहा हैं। इस संबंध में पूर्व में आयोग के द्वारा असंतोष प्रकट किया जाता रहा हैं, अतएव आयोग से पत्राचार केवल जिला निर्वाचन पदा0–सह–जिला पदाधिकारी स्तर से ही की जाय। साथ ही प्राप्त प्रतिवेदन को आयोग को भेजने के पूर्व अपने स्तर से गंभीरता से समीक्षा करके समस्याओं का निराकरण किया जाय एवं विशेष परिस्थिति में ही आयोग को मंतव्य के साथ प्रतिवेदन उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।

विश्वासभाजन,

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त।

Sone Bhawan, 3rd Floor, Birchand Patel Marg, Patna – 800 001, Phone 2506826, 2506917, 2506844, 2506994 Fax: 0612-2507847) E-mail: secbihar@gmail.c